	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग, औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र सं. :117/228		विषय : मानव संसाधन/2023-24
उप-विषय: स्टाफ मामले/सामान्य		
संदर्भ: एचओ:एचआर:आईआर:एसएम:24		दिनांक : 20.12.2023

सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र

प्रशिक्षण के दौरान स्टाफ सदस्यों को आउट ऑफ पॉकेट खर्च की प्रतिपूर्ति का प्रावधान-सीमाओं में संशोधन

अधिकारियों के लिए प्र.का. शाखा परिपत्र सं. 100/165 दिनांक 17.01.2007 तथा अवार्ड स्टाफ, स्टाफ सदस्यों के लिए 104/137 दिनांक 25.01.2011 के माध्यम से परिचालित दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान उनके द्वारा आउट ऑफ पॉकेट खर्चों की प्रतिपूर्ति नीचे दी गई पात्रता के अनुसार होगी :

वेतनमान/ संवर्ग	प्रशिक्षु	आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
अधिकारी	स्थानीय प्रशिक्षु	हाल्टिंग भत्ते के ¼ के बराबर	मुंबई और दिल्ली (नोएडा) के लिए रु. 75 प्रतिदिन तथा अन्य केन्द्रों के लिए रु. 60 प्रतिदिन
	शहर के बाहर से आने वाले प्रशिक्षु	हाल्टिंग भत्ते के ¼ के बराबर	प्रशिक्षु बैंक ऑफ़ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार नियमित हाल्टिंग भत्ते के लिए पात्र होंगे। रहने के स्थान से प्रशिक्षण केंद्र तक आने एवं जाने (लोकल) के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और कोई आउट ऑफ पॉकेट खर्च देय नहीं होगा
अवार्ड स्टाफ	स्थानीय प्रशिक्षु	मुंबई और दिल्ली (नोएडा) के लिए रु. 75 प्रतिदिन और अन्य केन्द्रों के लिए रु. 65 प्रतिदिन	मुंबई और दिल्ली (नोएडा) के लिए रु. 60 प्रतिदिन और अन्य केन्द्रों के लिए रु. 45 प्रतिदिन। रहने के स्थान से प्रशिक्षण केंद्र तक आने एवं जाने (लोकल) के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
	शहर के बाहर से आने वाले प्रशिक्षु	मुंबई और दिल्ली (नोएडा) के लिए रु. 75 प्रतिदिन और अन्य केन्द्रों के लिए रु. 65 प्रतिदिन	प्रशिक्षु द्विपक्षीय समझौते के अनुसार नियमित हाल्टिंग भत्ते के पात्र होंगे। रहने के स्थान से प्रशिक्षण केंद्र तक आने एवं जाने (लोकल) के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और कोई आउट ऑफ पॉकेट खर्च देय नहीं होगा

2. समय के साथ, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, संगठन में आधारभूत परिवर्तन और एक दशक से ज्यादा समय तक सीमाओं में संशोधन ना होने के कारण यह अनिवार्य है कि स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान आउट ऑफ पॉकेट खर्चों की प्रतिपूर्ति के वर्तमान प्रावधानों को संशोधित किया जाए।

3. हमें यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बोर्ड ने 16.11.2023 को हुई बैठक के दौरान स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण के दौरान, आउट ऑफ पॉकेट खर्चों की प्रतिपूर्ति की संशोधित राशि अनुमोदित की है। संशोधित राशि, निम्नानुसार है:



वेतनमान/ संवर्ग	प्रशिक्षार्थी	आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	गैर -आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
अधिकारी	स्थानीय प्रशिक्षु	¼ विराम भत्ते के बराबर (कोई परिवर्तन नहीं)	मुंबई और दिल्ली (नोएडा) के लिए रु. 200 प्रतिदिन और अन्य स्थानों के लिए रु. 150 प्रतिदिन।
	शहर के बाहर से आने वाले प्रशिक्षु	¼ विराम भत्ते के बराबर (कोई परिवर्तन नहीं)	प्रशिक्षु बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के अनुसार नियमित हाल्टिंग भत्ते के पात्र होंगे। ठहरने के स्थान और प्रशिक्षण केंद्र के बीच आने जाने (लोकल) की यात्रा के लिए कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी, और कोई आउट ऑफ पॉकेट खर्च नहीं दिया जाएगा।
अवार्ड स्टाफ	स्थानीय प्रशिक्षु	¼ विराम भत्ते के बराबर	मुंबई और दिल्ली (नोएडा) के लिए रु. 200 प्रतिदिन और अन्य स्थानों के लिए रु. 150 प्रतिदिन। ठहरने के स्थान और प्रशिक्षण केंद्र के बीच आने जाने (लोकल) की यात्रा के लिए कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
	शहर के बाहर से आने वाले प्रशिक्षु	¼ विराम भत्ते के बराबर	प्रशिक्षु द्विपक्षीय समझौते के अनुसार नियमित हाल्टिंग भत्ते के पात्र होंगे। ठहरने के स्थान और प्रशिक्षण केंद्र के बीच आने जाने (लोकल) के लिए कोई प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी और कोई आउट ऑफ पॉकेट खर्च नहीं दिया जाएगा। (कोई परिवर्तन नहीं)

3. दिशा-निर्देश


अनुमोदित योजना की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- 3.1 संशोधित दरें दिनांक 01.12.2023 से लागू हैं।
- 3.2 अधिकारी और स्टाफ अवार्ड प्रशिक्षण के दौरान खर्चों के लिए एचआरएमएस में घोषणा के आधार पर पात्र होंगे।
- 3.3 उपरोक्त खर्चों की प्रतिपूर्ति केवल प्रशिक्षण की वास्तविक अवधि के लिए है।
- 3.4 स्टाफ सदस्य जिन्होंने उपलब्धता के बावजूद आवासीय सुविधा नहीं ली है (सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात) किसी भी यात्रा/ आउट ऑफ पॉकेट खर्च के पात्र नहीं होंगे।
4. कृपया इस परिपत्र की विषयवस्तु को अपनी शाखा/ कार्यालय में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों के संज्ञान में लाएं।



शम्पा विश्वास

(शम्पा विश्वास)
महाप्रबंधक-मानव संसाधन

	Bank of India Head Office	Human Resources Department, Industrial Relations Division
Branch Circular No. :117/228		Sub : Human Resources / 2023-24
Sub-Subject : Staff matters / General		
Ref : HO:HR:IR:SM:24		Date: 20.12.2023

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

**Provision of Reimbursement of out-of-pocket expenses
to employees while on training - Revision in limits**

In terms of the prevailing guidelines circulated as per Head Office Branch Circular No. 100/165 dated 17.01.2007 for Officers and 104/137 dated 25.01.2011 for Award Staff, employees are eligible for reimbursement of out-of-pocket expenses while on training incurred by them as per below mentioned entitlements:

Scale / Cadre	Trainee	Residential training Programme	Non - Residential training Programme
Officers	Local Trainees	Equivalent to 1/4 th of the Halting Allowance	Rs. 75 / day for Mumbai & Delhi (Noida) and Rs. 60 / day for other centers
	Up-country Trainees	Equivalent to 1/4 th of the Halting Allowance	Trainees will be eligible for regular halting allowance as per the relevant provisions of the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979. No reimbursement will be admissible towards local to & fro travel between the place of stay and the training center, and no out-of-pocket expenses will be payable
Award Staff	Local Trainees	Rs. 75 / day for Mumbai & Delhi (Noida) and Rs. 65 / day for other centers.	Rs. 60 / day for Mumbai & Delhi (Noida) and Rs. 45 / day for other centers. No reimbursement will be admissible towards local to & fro travel between the place of stay and the training center.
	Up-country Trainees	Rs. 75 / day for Mumbai & Delhi (Noida) and Rs. 65 / day for other centers.	Trainees will be eligible for regular halting allowance as per the Bipartite Settlement. No reimbursement will be admissible towards local to & fro travel between the place of stay and the training center, and no out-of-pocket expenses will be payable

2. With the advent of time, inflation in the economy, structural changes in the organization and non-revision of limits for over a decade, it is imperative that the existing provision of reimbursement of out-of-pocket expenses for employees while on training revised.

3. We are now pleased to advise that the Board during the meeting held on 16.11.2023 has approved the revised amount which can be reimbursed to the employees for the out-of-pocket expenses while on training. The revised amounts are, as below:



Scale / Cadre	Trainee	Residential training Programme	Non - Residential training Programme
Officers	Local Trainees	Equivalent to 1/4 th of the Halting Allowance (No Change)	Rs. 200 / day for Mumbai & Delhi (Noida) and Rs. 150 / day for other centers
	Up-country Trainees	Equivalent to 1/4 th of the Halting Allowance (No Change)	Trainees will be eligible for regular halting allowance as per the relevant provisions of the Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979. No reimbursement will be admissible towards local to & fro travel between the place of stay and the training center, and no out-of-pocket expenses will be payable (No Change)
Award Staff	Local Trainees	Equivalent to 1/4th of the Halting Allowance	Rs. 150 / day for Mumbai & Delhi (Noida) and Rs. 125 / day for other centers. No reimbursement will be admissible towards local to & fro travel between the place of stay and the training center.
	Up-country Trainees	Equivalent to 1/4th of the Halting Allowance	Trainees will be eligible for regular halting allowance as per the Bipartite Settlement. No reimbursement will be admissible towards local to & fro travel between the place of stay and the training center, and no out-of-pocket expenses will be payable (No Change)

3. **GUIDELINES**

Salient features of the approved scheme shall be as under:

- 3.1 The revised rates are applicable with effect from 01.12.2023.
- 3.2 Officers and Award Staff shall be eligible for reimbursement out-of-pocket expenses while on training on declaration basis in HRMS.
- 3.3 The reimbursement of expenses as above will be only for the actual period of training.
- 3.4 The employees who do not avail of residential facility (after availing permission from the competent authority) though available, will not be eligible for reimbursement of any travelling / out-of-pocket expenses.

4. Please bring the contents of this Circular to the notice of all employees working under your Branch / Office.



(Shampa Biswas)
(Shampa Biswas)
General Manager - HR